

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in



पत्र संख्या- 14/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 10.01.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 10.01.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना- महाराजगंज: चोरी गये मंदिर की घण्टी के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास –

दिनांक 09.01.2025 को वादी रामबली दास (साधु) पुत्र बदरीदास निवासी मदरवा (शिवपुर) थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि 1. महावीर राम पुत्र सत्यदेव राम निवासी अराजी आमानी थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा बुढ़ऊ बाबा मन्दिर शिवपुर से घण्टी चोरी किया गया चोरी करते समय आस पास के लोगों द्वारा पकड़ लेने के सम्बन्ध में तहरीर दिया गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 08/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस बनाम1. महावीर राम पुत्र सत्यदेव राम निवासी अराजी आमानी थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0 अमित कुमार तिवारी द्वारा सम्पादित की जा रही है। अभियुक्त महावीर राम पुत्र सत्यदेव राम को बरामदगी के आधार पर हिरासत पुलिस में लिया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 09.01.2025 को उ0नि0 अमित कुमार तिवारी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी हुई घण्टी के साथ अभियुक्त महावीर राम पुत्र सत्यदेव राम निवासी अराजी आमानी थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 50 वर्ष को समय करीब 14.00 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. अभियुक्त महावीर राम पुत्र सत्यदेव राम निवासी अराजी आमानी थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 50 वर्ष बरामदगी का विवरण:-

1. चोरी की 10 घण्टी बरामद ।

2.



02.थाना अतरौलिया: चोरी गये 03 एम्प्लीफायर के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व का विवरण-

दिनांक 08.01.2025 को वादी जमील अहमद पुत्र अब्दुल रहमान निवासी ग्राम कन्तालपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया कि ग्राम कन्तालपुर की मस्जिद में रखे 03 एम्प्लीफायर को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गयी है, के सम्बन्ध में थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0 06/2025 धारा 305 बी.एन.एस बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 विनय कुमार यादव द्वारा सम्पादिक की जा रही है। दौराने विवेचना बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमें में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी करते हुए अभियुक्त मो0 शमशाद उर्फ गुड्डू पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी कोर्ट मोहल्ला बाजबहादुर मकान, नं0 122 थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में लाया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 10.01.2024 को उ0नि0 विनय कुमार यादव मय हमराह द्वारा भोराजपुर कला हाइवे मार्ग पर पुल के पहले लिंक रोड के समाने से अभियुक्त मो0 शमशाद उर्फ गुड्डू पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी कोर्ट मोहल्ला बाजबहादुर मकान, नं0 122 थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष को विभिन्न स्थानों से चोरी किये 03 एम्प्लीफायर के समय करीब 04.10 बजे नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।



03.थाना - कप्तानगंज: गैर इरादतन हत्या में एक अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण -

वादी सूरज निषाद पुत्र शंकर निषाद निवासी ग्राम अलहनी, थाना-कप्तानगंज, जनपद - आजमगढ़ के लिखित प्रार्थना पत्र के आधार पर कि दिनांक- 08.01.25 के रात्रि करीब 08 बजे वादी के घर पर अभियुक्तगणों द्वारा एक राय होकर हाथ में लाठी-डण्डा से मारने पीटने तथा अभियुक्तगणों के मारने से वादी की माता को अन्दरूनी चोटे आना वह जमीन पर गिरकर तुरन्त बेहोश हो गयी। अभियुक्तगणों के मारने से वादी की माता को अन्दरूनी चोटे आना वह जमीन पर गिरकर तुरन्त बेहोश हो जाने तथा जब उनको बचाने के लिए वादी की भाभी व पिता आये तो उनको भी मारना पीटना व वादी के माता को हास्पिटल ले जाने पर डाक्टर द्वारा वादी की माता खरपत्ती देवी की मृत्यु हो जाना बताने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 04/25 धारा 105/115(2)/351(2)/352 BNS बनाम 1.कोमल निषाद पुत्र स्व0 मितई निषाद 2. संजय निषाद पुत्र कोमल निषाद 3. किताबी देवी पत्नी कोमल निषाद 4. सुनीता निषाद पुत्री कोमल निषाद निवासीगण अलहनी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध दिनांक 09.01.25 को पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना वरिष्ठ उ0नि0 विजय सिंह गौड़ द्वारा प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ उ0नि0 विजय सिंह गौड़ मय हमराह द्वारा आज दिनांक 09.01.25 को प्रकाश में आए अभियुक्त कोमल निषाद पुत्र मितई निषाद साकिन अलहनी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 55 वर्ष को उसके घर ग्राम अलहनी से समय करीब 13.20 बजे अभियुक्त कोमल निषाद उपरोक्त को हिरासत पुलिस में लेकर मा0न्या0 रवाना किया गया।



थाना- फूलपुर: हत्या के वांछित 04 अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 09-01-2025 को मुकदमा वादी राम पलट पुत्र स्व0 धनई राजभर ग्राम नेवादा थाना फूलपुर आजमगढ़ का निवासी हूँ दिनांक 08-01-2025 को समय 8.30 बजे रात मेरा पुत्र दिपचन्द राजभर पुत्र राम पलट राजभर उम्र करीब 38 वर्ष ग्राम शेखवलियाँ थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ के विजय राजभर पुत्र चुन्नूलाल राजभर उम्र करीब 42 वर्ष के साथ अपनी मोटर साईकिल HF डीलक्स न0-UP 50CH xxx से खुरासो बजार से घर वापस आ रहे थे कि नेवादा टावर के पास चार-पाँच लोग खड़े थे जिनसे मेरे पुत्र व विजय ने पूछा कि यहाँ क्यों खड़े हो । इसी बात को लेकर मौके पर खड़े लोगो द्वारा मेरे पुत्र दिपचन्द व विजय को काफी बुरी तरह से गाली गलौज देते हुऐ मारने-पीटने लगे जिससे मेरे पुत्र व विजय को काफी गम्भीर चोट आई है । वादी के पुत्र को चोट लगने के कारण मौके पर बेहोश हो गया तथा विजय उपरोक्त के शोर करने पर उपरोक्त लोग जान से मारने की धमकी देते हुऐ मौके से भाग गये । आस-पास के लोगो की मदद से मैं अपने पुत्र दिपचन्द व विजय को सरकारी हास्पिटल ले गये के सम्बन्ध में थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0 10/25 धारा 3(5)/115(2)/110/351(2)/352 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना व0उ0नि0 गंगाराम बिन्द थाना फूलपुर आजमगढ़ के द्वारा की जा रही है , दौरान विवेचना मजरुब दीपचन्द की मृत्यु हो जाने के कारण धारा 110 बीएनएस लोप करते हुये धारा 109/103(1) बीएनएस की बढोत्तरी किया अग्रिम विवेचना धारा 3(5)/115(2)/109/103(1)/351(2)/352 बीएनएस में की जा रही है तथा अभियुक्त 1.हरिमन पुत्र स्व0 प्रहलाद ग्राम नेवादा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ 2. विशाल कुमार पुत्र अरुण कुमार ग्राम खानपुर बेलहमा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ 3. हरिश्चन्द्र पुत्र सूर्यबली ग्राम नेवादा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ 4. राजन पुत्र अमृतलाल ग्राम खानपुर बेलहमा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक- 10.01.2025 को थाना प्रभारी फूलपुर सच्चिदानन्द मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1.हरिमन पुत्र स्व0 प्रहलाद ग्राम नेवादा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ 2. विशाल कुमार पुत्र अरुण कुमार ग्राम खानपुर बेलहमा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ 3. हरिश्चन्द्र पुत्र सूर्यबली ग्राम नेवादा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ 4. राजन पुत्र अमृतलाल ग्राम खानपुर बेलहमा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को टेउगाँ मोड़ के पास स्थित एकराम के ट्यूबेल के पास से समय 15.40 बजे कारण गिरफ्तारी बताकर हिरासत पुलिस में नियमानुसार लिया गया व

अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा जिलाकारागार भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. हरिमन पुत्र स्व0 प्रहलाद ग्राम नेवादा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
2. विशाल कुमार पुत्र अरुण कुमार ग्राम खानपुर बेल्हमा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
3. हरिश्चन्द्र पुत्र सूर्यबली ग्राम नेवादा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
4. राजन पुत्र अमृतलाल ग्राम खानपुर बेल्हमा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरण:- आला कत्ल चार डण्डा

पंजीकृत अभियोग-

- 1- मु0अ0सं0 10/2025 धारा 3(5)/115(2)/109/103(1)/351(2)/352 बीएनएस थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. थानाध्यक्ष सच्चिदानन्द थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
- 2-व0उ0नि0 गंगा राम विन्द थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
- 3-का0 महेन्द्र कुमार सरोज थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
- 4- का0 राजेश कुमार यादव थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
- 5- का0 गौरव कुमार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
- 6- म0का0 कृष्णा शुक्ला थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

